is a part of Indian Council of World Affairs, which is an autonomous body registered under the Registration of Societies Act. As such, the Ministry of External Affairs has no control over it.

(b) The Indian Council of World Affairs being an autonomous body, the Ministry of External Affairs has no informantion on this.

(c) The employees of the Indian Council of World Affairs, including those of the library, have been representing to Government of India from time to time regarding anomalies in pay-scales, service conditions, etc.

(d) It is for the management of Indian Council of World Affairs to implement Pay Commission's recommendations and the Government of India is not in a position to say when appropriate action would be taken by the Council in this regard.

विदेश मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों में भ्रष्टाचार

7113. **श्री ईश दत्त यादव:**
श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विदेश मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों में भ्रष्टाचार की सूचनाएं मिली है;

(ख) यदि हां, तो कितने अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई और उनमें से कितने अधिकारियों को गत तीन वर्षों के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि भ्रष्टाचार तथा कदाचार के आरोपों के मामलों में अधिकारियों को दण्ड-स्वरूप मात्र स्थानांतरित ही किया गया है; और

(घ) भ्रष्टाचार तथा कदाचार में लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में भ्रष्टाचार के संबंध में समय-समय पर रिपोर्टें प्राप्त हो रही हैं।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान 31 मामलों में या तो विभागीय स्तर पर या सुरक्षा अधिकरणों द्वारा कार्रवाई की गई है। वे मामले जांच की विभिन्न अवस्थाओं में हैं जिनमें अनुशासनात्मक कार्रवाइयां शुरु करना अथवा दण्ड देने से सम्बद्ध निर्णय लेने की प्रक्रिया अन्तिम दौर में है। दो कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) यदि यह पाया जाता है कि किसी कार्यालय विशेष में किसी कर्मचारी की तैनाती बनी रहना सार्वजनिक हित में नहीं है तो ऐसे मामलों में स्थानान्तरण किए जाते हैं। जिन मामलों में भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप हैं और जि मामलों में प्रथम दृष्टया इस बात के साक्ष्य हैं कि कर्मचारी का इनमें हाथ है, उन सभी मामलों की उपयुक्त जांच की जाती है और निर्धारित क्रिया-विधियों के अनुसार विभाग द्वारा अथवा सुरक्षा अभिकरणों द्वारा सक्रिया रूप से और गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही की जाती है। जिन मामलों में यह साबित हो जाता है कि पासपोर्ट जाती करने में अनियमितता बरतने के लिए कोई कर्मचारी दोषी है अथवा उसके बारे में यह पाया जाता है कि उसने गैर कानूनी पारितोषण प्राप्त किया है, तो दोषी कर्मचारी को नियमों में यथानिर्धारित दण्ड दिया जाता है।

Minimum wages to ICWA Staff

7114. DR. BIPLAB DAS GUPTA:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact the ICWA staff are not getting even the minimum wages;

(b) if so, what legal action Government have initiated against the management; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) to (c) The Indian Council of World Affairs is an autonomous body registered under the Registration of Societies Act. As such the Government has be control over its functioning. It is a fact that Government has been receiving for quite some time now, complaints about mismanagement of the Council including, inter alia, dissatisfactory functioning of its library, etc. The Government has been in touch with the management to set the affairs of the Council in order and has proposed constitution of an advisory/supervisory comittee to go into thorough detail of the functioning of the Council with a view to revamping the functioning of the Indian Council of World Affairs. The Government is awaiting the response of the council to its proposal. As and when the

response of the Council is received, the Government will be in a position to take further action in the matter.

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु "सार्क" देशों के बीच समझौता

7115. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई, 1995 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली में आयोजित "सार्क" शिखर सम्मेलन में "सार्क" देशों के किन-किन राष्ट्रध्यक्षों ने भाग लिया;

(ख) क्या सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बातचीत के दौरान पर्यटन को बढावा देने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए; और

(ग) तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) भूटान नरेश महामहिम जिग्मे सिंगे वांग्चुक, बंगलादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया, मालदीव के राष्ट्रपति श्री मामून अब्दुल क्यूम, नेपाल के प्रधान मंत्री श्री मनमाहेन अधिकारी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति सरदार फारूख अहमद खान लेघारी, श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका भंडारनायकू के कुमारतुंगा तथा भारत के प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिम्हा राव ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों की आठवीं शिखर बैठक में भाग लिया।

(ख) जी नहीं। तथापि इस क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के बीच सहयोग संवर्धित करने के उद्देश्य से 1991 में पर्यटन से सम्बन्धित सार्क तकनीकी समिति की स्थापना की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा विदेशों में भेजे गए व्यक्ति

7116. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किन-किन लोगों को विदेश भेजा गया और किन-किन देशों में भेजा गया तथा इसके उद्देश्य क्या थे; और

(ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इन यात्राओं पर कितनी धनराशि व्यय की?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया): (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश भेजी गई सांस्कृतिक मंडलियों, प्रतिनिधि मंडलों तथा व्यक्तियों की संगत ब्यौरो सहित सूची अनुपत्र के रूप में संलग्न है। (देखिये परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 154)

(ख) इस संबंध में हुए व्यय का विवरण भी इस सूची में दिया गया है।

South Asian Development Fund

7117. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the SAARC meeting held in New Delhi recently agreed to float a South Asian Free Trade Area and to establish a South Asian Development Fund economic and technical development of the region;

(b) what specific gains India could expect by allowing customs and excise relief on 106 items against the 30 odd items by other member countries; and

(c) whether any decision was taken at the above meeting to expand the Visa extention regime for the member countries and what steps are proposed to taken by Government to convince Bangladesh and Pakistan to ratify the convention on terrorism adopted in 1987 at Kathmandu?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R.L. BHATIA): (a) The SAARC Council of Ministers at their 15th Session, held in New Delhi, on 30th April-1st May, 1995 "welcomed the completion of the first phase of SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA) and urged Member States to operationalise it preferably by 8th November 1995. It agreed that the full and timely realisation of the benefits of regional economic cooperation required the implementation of other related measures such as the removal of para-tariff, non-tariff and other trade control barriers within the specific time-frame and eventual progression to the creation of a free trade area in the region."

The Heads of State or Government endorsed the establishment of a three-widow South Asian Development Fund (SADF) with the merger of